निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान–जयपुर

क्रमांक:एफ–313/निर्माण/मेडतासिटी ट्रोमा/पिंक लैटर/2024/189 दिनांक 26/4/24

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर ।

विषयः–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेडतासिटी में ट्रोमा सेन्टर के भवन निर्माण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चिकित्सा संस्थान में स्वीकृत एल–3 ट्रोमा सेन्टर एक स्वनिर्भर ईकाई न होकर चिकित्सा संस्थान के संसाधनों के साथ संचालित होता है। अतः ट्रोमा सेन्टर का भवन निर्माण संस्थान परिसर में संलग्न होना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि सिकन्दरा (दौसा) एवं सुजानगढ (चूरू) के ट्रोमा सेन्टर, संबंधित चिकित्सा संस्थान से दूरी पर निर्मित होने के कारण आज दिनांक तक संचालित नहीं हो पाए हैं एवं ऑडिट पैरे चल रहे हैं।

मेडतासिटी में जो ट्रोमा सेन्टर राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित था वह भूमि वर्तमान संचालित चिकित्सा संस्थान से सटते हुए अजमेर–नागौर राजमार्ग की दूसरी ओर है जबकि दानदाता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेडतासिटी परिसर में ही ट्रोमा सेन्टर बनाकर दे रहा था। अतः उक्त दोनों विकल्पों का परीक्षण (ट्रोमा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु किसी भी चिकित्सा संस्थान में स्वीकृत एल–3 ट्रोमा सेन्टर एक स्वनिर्भर ईकाई न होकर चिकित्सा संस्थान के संसाधनों के साथ संचालित होता है। अतः उक्त का संस्थान परिसर में संलग्न होना आवश्यक है।) करवाकर ट्रोमा अस्पताल मेडता हेतु कौनसी भूमि उपयुक्त रहेगी, पर आपकी टिप्पणी वांछनीय है।

यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सा संस्थान परिसर में उपलब्ध नॉर्म्स अनुसार भूमि की अनुपयुक्ता की स्थिति में ट्रोमा सेन्टर हेतु आवंटित राजकीय भूमि जोकि राजमार्ग के दूसरी ओर है, का वर्तमान संचालित चिकित्सा संस्थान परिसर से निर्बाद आवागमन कैसे सम्भव होगा, पर अपनी स्पष्ट टिप्पणी शीघ्र प्रस्तुत करें ।

चूंकि उक्त प्रकरण मुख्य सचिव महोदय के पिंक लैटर में दर्ज है। अतः इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए अविलम्ब वांछित टिप्पणी अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ–313/निर्माण/मेडतासिटी ट्रोमा/पिंक लैटर/2024/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2/5) विभाग, राज0 जयपुर।
3. नोडल अधिकारी, सीएमआईएस, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस पत्र को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6808875

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation :Director
Date :26-04-2024 04:42:07